राजस्थान सरकार

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा
पीठासीन अधिकारी : डॉ. नीरज कुमार पवन

निर्णय

प्रकरण संख्या 27/2023, जीसीएमएस नम्बर 2023/1

उनवान –

1. श्री राजु पिता श्री फुलजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती चम्पी पत्नी श्री फुलजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)

अपीलान्टस्

1. श्री लेमजी पिता श्री भातु जाति भील उम्र वयस्क निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री सुकराम पिता श्री भातु जाति भील उम्र वयस्क निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्री सुका पिता श्री भातु जाति भील उम्र वयस्क निवासी हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.02.2023
प्रकरण संख्या 4/2022 श्री राजु व अन्य बनाम श्री लेमजी व अन्य में
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा के द्वारा पारित।

उपस्थिति दौराने बहस :–

1. श्री जयेन्द्र पुरोहित – अपीलान्टस् अधिवक्ता

दिनांक : 19/03/2024

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर नवगठित संभाग बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है, जो दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में इस न्यायालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा में पत्रावली दिनांक 15.09.2023 को दर्ज की गई।

उक्त अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर क्रमांक राजस्व/भू.आ./पु.था.बि./2017–18/2407–13 दिनांक 05.07.2018 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के पेश की गई है।

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार तहसील बागीदौरा के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम हमीरपुरा पटवार मण्डल बोडीगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 133 नई, 115 पुरानी के कुल खेत 10 कुल रकबा 4.05 हैक्टयर कुल लगान 8.10 रूपया जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खातेदार होकर जिसका पूर्ण विवरण बटवारा प्रपत्र में अंकित होकर सभी सह–खातेदारों ने आपसी रजमंदी से संयुक्त भूमि का मौके पर विभाजन कर दिया है और उसी तरह मौके पर काबिज है। अनुतोष में बटवारा प्रपत्र अनुसार बटवारा प्रमाणित करवाकर राजस्व अभिलेख में अलग–अलग खातों में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक ही बयान प्रारूप में सभी खातेदारों के हस्ताक्षर करवाकर आदेश/क्रमांक/2016/55–56 दिनांक 14.05.2016 को विभाजन स्वीकार कर दिया और उक्त विभाजन की अनुपालना में नामान्तरण संख्या 318 दिनांक 14.05.2016 दर्ज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्टस्

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बाँसवाड़ा

के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जो न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.02.2023 को अस्वीकार कर दी। जिससे अपीलान्ट्स उक्त निर्णय से अप्रसन्न, असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर निम्न आधारो पर अपील पेश करते है :–

1. उक्त प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स को सुने बिना रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में एवं श्रीमान् तहसीलदार, तहसील बागीदौरा के बटवारा आदेश दिनांक 14.05.2016 एवं उक्त आदेश की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 14.05.2016 को यथावत रखे जाने निर्णय पारित किया हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है।
2. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में तहसीलदार बागीदौरा के समक्ष सह–खातेदार का आपसी सहमति से बटवारा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख अपने निर्णय में किया है। जबकि अपीलान्ट्स के द्वारा ऐसी कोई सहमति उपरोक्त बटवारे बाबत् लिखित में नही दी है और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध है। वाद वर्णित कृषि भूमि का नियमानुसार अच्छे से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि भूमि का विभाजन करने हेतु किसी प्रकार की अपीलान्ट्स की सहमति नहीं दी है। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली में एक प्रारूप प्रार्थनापत्र को सहमति पत्र मानने में विधिक त्रुटि की है और यदि अपीलान्ट्स की सहमति मान भी ली जाये तो भी नियमानुसार कृषि भूमि का विभाजन नहीं कर रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी मनमर्जी से अच्छी भूमि व अपने हिस्से से अधिक भूमि अपने खाते में दर्ज करवायी है। जिस कारण अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी पड़ी है। परन्तु अपीलीय न्यायालय के द्वारा बटवारे के विधिक प्रावधानों को विवेचन किए बिना अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2016 एवं अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.02.2023 को काबिले निरस्तनीय है।
3. वाद वर्णित कृषि भूमि में अपीलान्ट्स का 1/4 हित व हिस्सा होकर कुल कृषि भूमि 0.101 हैक्टयर यानि सवा छः बीघा आती है परन्तु उक्त तथाकथित बटवारे में अपीलान्ट्स के हिस्से में 0.86 हैक्टयर दर्ज कर दी है जो वास्तविक रूप से अपीलान्ट्स के हिस्से में 1/4 से कम भूमि दर्ज की है तथा रेस्पोडेन्ट्स के मनमर्जी से अपने हिस्से में अधिक भूमि दर्ज करा दी है। जिसके संबंध में अपीलान्ट्स ने किसी प्रकार की सहमति नहीं दी है, न ही अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए है। परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के द्वारा सहमति व बटवारा फेहरिस्त के आधार पर विभाजन की स्वीकृति मानकर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है।
4. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश पारित करने में किसी प्रकार के विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है और न ही अपीलान्ट्स के द्वारा उक्त विभाजन के आवेदन एवं बंटवारा प्रपत्र पर किसी प्रकार से सहमति दी है। रेस्पोडेन्ट्स ने अवैध रूप से अपनी मनमर्जी से विभाजन प्रपत्र तैयार कर बटवारा करवाया है। जबकि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 मूल पुरूष श्री भातु पिता भोदर के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान है जिसकी वंशावली निम्नानुसार है। भातु पिता श्री भोदर के लेमजी, फुलजी, सुकराम, सुका पुत्र है। फुलजी के राजु पुत्र., चम्पी पत्नी है।
5. रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा बंटवारा फहरिस्त जो तैयार किया गया, वह अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे के अनुसार तैयार नहीं कर गलत ढंग से तैयार कर किया गया है जिसमें अपीलान्ट्स के हिस्से व कब्जे की भूमि को रेस्पोडेन्ट्स के खाते में दर्ज कर दी ओर रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे की भूमि आपीलान्ट्स के हिस्से में दर्ज कर दी। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया तथा भूमिधारी के द्वारा बंटवारा प्रपत्र के दौरान अपीलान्ट्स को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई एवं रेस्पोडेन्ट्स ने मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया है। जो अपीलान्ट्स के हित व अधिकारों के विपरीत है तथा ऐसे बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी आदेश काबिल व नामान्तरकरण संख्या 318 निरस्तनीय है तथा अपीलीय न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश व नामान्तरकरण को यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है। जिसका उक्त निर्णय भी काबिल निरस्तनीय है।
6. वाद वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा पूर्वजों के समय से हो चुका है और जिसमें अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का विभाजन, विभाजन प्रस्ताव में नहीं कर रेस्पोडेन्ट्स ने अच्छी भूमि को अपने खाते में दर्ज करवा दी तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि बंटवारे में प्राप्त कर ली जबकि मौक पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स का समान हित, हिस्सा व कब्जा है। जिस कारण आदेश व आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण में उपरोक्त कृषि भूमि का हिस्सा दर्ज नहीं कर गलत ढंग से हिस्से दर्ज कर दिए जो उक्त आदेश व आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण काबिल निरस्तनीय है। परन्तु अपीलीय

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बाँसवाड़ा

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विधिक प्रावधानों का न्यायोचित विवेचन किये बिना यह निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

7. उपरोक्त सर्वे नम्बरों की कृषि भूमि का बंटवारा मौक पर किये गये बंटवारे के अनुसार नहीं होने से अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स में विवाद उत्पन्न हो गया है तथा आदेश व आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण मौके पर किए गए बंटवारे के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से होती है परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश व नामान्तरकरण को सही मानने में विविध त्रुटि की है तथा अपीलीय न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्तनीय है।
8. उक्त प्रकरण में पारित आदेश एवं नामान्तरकरण संख्या 318 विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है तथा उपरोक्त अविधिक आदेश को अपीलीय न्यायालय ने सही मानने में गलती है। चूंकि उपरोक्त अधीनस्थ तहसीलदार के द्वारा किसी प्रकार से विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है। जिस कारण यह निर्णय भी काबिल निरस्तनीय है।
9. अपील के साथ आदेश व नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.02.2023 प्रकरण संख्या 4/2022 निरस्त फरमावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश क्रमांक /2016/55–56 दिनांक 14.05.2016 एवं उक्त आदेश की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 14.05.2016 को निरस्त फरमावे एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 को विधिवत नियमानुसार विभाजन करने एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करें। अन्य न्यायोचित अनुतोष जो माननीय न्यायालय अपीलान्ट्स को दिलाना उचित समझे वह दिलावें। अपीलान्ट्स को अपील व्यय एवं अभिभाषक पारिश्रमिक दिलवाए।

न्यायालय अति. न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 04/2022 उनवान राजु वगैराह बनाम लेमजी वगैराह में निर्णय दिनांक 10.02.2023 अनुसार अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के निश्चिय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 3 द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में तहसीलदार बागीदौरा के समक्ष सह खातेदार का आपसी सहमति से बंटवारा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र संलग्न है जिस पर समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर है। पत्रावली में बयान भी लेखबद्ध हे जिसमें बंटवारे पर सहमति जाहिर की गई है। तहसीलदार बागीदौरा द्वारा आदेश क्रमांक 2015/55–56 दिनांक 14.05.2016 पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र उनके कथन एवं बंटवारा फेहरिस्त के आधार पर नियमानुसार विभाजन स्वीकृत किया है। उक्त आदेश की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 14.05.2016 विधि सम्मत है। जिसमें कोई विधिक भूल नही की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन तहसीलदार तहसील बागीदौरा का बंटवारा आदेश क्रमांक 2015/55–56 दिनांक 14.05.2016 एवं उक्त आदेश की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 14.05.2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर से न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा को प्राप्त हुई। पक्षकाराने के नाम नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुवे। जिन्हे शामिल मिसल किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के नाम जारी नोटिस तामिल होने के बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 निरन्तर अनुपस्थित रहे। दिनांक 14.03.2024 को अपीलान्ट अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करने निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के नाम बार–बार आवाजे लगवाई गई। उपस्थित नही हुए न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 19.03.2023 को नियत की गई। दिनांक 19.03.2023 को अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस हेतु निवेदन किया गया। एक तरफा बहस समायत की गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस में प्रस्तुत अपील के बिन्दुओं को दोहराया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बताया कि हमे बिना सुने बटवारा किया गया। अच्छी से अच्छी जमीन व बुरी से बुरी जमीन का बराबर बटवार नही किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बाँसवाड़ा

हमारे खाते में बटवारे के बाद कम भूमि आई है। हम जहां बैठकर काश्त कर रहे है। वो भूमि हमारे पक्ष में नही रखी गई है। केवल खसरा नम्बरों के आकडो में बटवारा हुआ है। इस बटवारे से हम सन्तुष्ट नही है। इस बटवारे में विधि का घ्यान नही रखा गया है। आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पर तो हमारे हस्ताक्षर है। किन्तु हम जिस जमीन पर बैठे है उस जमीन को हमारे खाते में दर्ज नही है। हमारे खाते में बटवारे में कम भूमि दी गई है। हमे विधि अनुसार बराबर भूमि अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी बंटवारे में दिलाने सादर निवेदन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें खातेदारी भूमि का विभाजन में अपीलान्ट को कुल भूमि 4.05 में से 1/4 हिस्सा 1.01 हैक्टयर अर्थात सवा छः बीघा मिलनी चाहिये थी। किन्तु अपीलान्ट को 0.86 हैक्टयर भूमि बटवारे में दी गई। कम भूमि दिये जाने बाबत बटवारे में विवेचना नही की गई है। अतः अपील सारयुक्त होना जाहिर रहा है।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश में बराबर भूमि का बटवारा एवं अच्छी से अच्छी भूमि व बुरी से बुरी भूमि का बटवारे किये जाने में वैधानिक अनियमितता होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश तथ्यों व न्याय प्रावधानों पर आधारित नही है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप हस्तगत अपील के माध्यम से किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट सारयुक्त होने से स्वीकार की जाती है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.) के निर्णय दिनांक 10.02.2023 एवं न्यायालय तहसीलदार बागीदौरा जिला बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 2016/55–56 दिनांक 14.05.2016 की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 14.05.2016 को निरस्त किया जाता है। अतः प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.) को प्रेतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयापक्षों की पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत बटवारा करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.), तहसीलदार, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.) को प्रेषित की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
संभागीय आयुक्त
बाँसवाड़ा

संभागीय आयुक्त
बाँसवाड़ा